

**अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।**

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी सह अभिलेख सं० 57/19-20

बिहार (आरखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।


23.3.19

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
	<p>आरखड सरकार के ज्ञापक-2074/सं० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपटित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० निति-119/85/2308/सं० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/सं० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नगत है-</p> <p>मौजा-<del>बैलानुसका</del> मौजा न०-12 खाता न० 142</p> <p>प्लॉट न० 63.73 रकबा 33.73<sup>26</sup> की भूमि जो गैरमजलूआ खास, अनाबाद बिहार(आरखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 3330 पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती स्वयंका मुखर्जी</u> पति <u>सतेंद्र क० मुखर्जी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से एतद्विदित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सधम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निहित लाभ एवं राजस्व को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का गतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 9/4/19 को रखे।</p>	

अचल अधिकारी  
धनबाद।


31/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


23/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
24/6/20 को रखे।


  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
(~~मौजा~~ ~~संख्या~~) मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट  
नं० 63, 73 रकबा 3585 मूमी से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाले की भूमि है। जमाबंदी रयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्ना)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० ( ) के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
25.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
25.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या- 57 / 2018 (अन्तर्गत घास-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री स्वपना मुखर्जी  
पति- संतोष कुं. मुखर्जी

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा ~~कोलाहस्ता~~ थाना नं०-12 खाता नं०-142 खेसरा नं०-62,73 रकबा-247/247 से संबंधित आपके नाम से ह० नं०-2 के पंजी-II भाग 18 के पृष्ठ 2330 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

.....  
.....

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4147

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमती 2-वपना गुजराती पति संतोष कृ 24/11

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोलापुरामा	12	142	63	3008
			73	280/10

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 18 ..... पृष्ठ सं० ... 333.30 ..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2007/08

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मू० सं० 542

(11) 2007/08 की 8/32112 जमाबंदी सं० 332, 333 से परकर आया

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमती निता तनेजा 332, 333

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती - 332- m/c No 56 (ii) 79/80 Thaka No - 116

333- m/c No 57 (ii) 79/80 Thaka No - 116 से परकर आया

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जीच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

Real

*(Signature)*

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसुली वर्ष
01	629352	13/7/04	2007/08
02			
03			

016584

*(Signature)* 3/7/15 2011-12 to 15-16